लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4338

13 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

जूट प्रसंस्करण

4338. श्री सुनील कुमार पिन्टूः
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटीलः
प्रो. सौगत रायः
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
श्रीमती सुमलता अम्बरीश:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
श्री कुलदीप राय शर्माः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कार्यरत जूट प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या कितनी है और उनका राज्य-वार उत्पादन कितना रहा और सरकार द्वारा जूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई हैं;

(ख) क्या देश से जूट उत्पादों के निर्यात में गिरावट आई है और इसके परिणामस्वरूप जूट उद्योग प्रभावित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जूट उत्पादों के निर्यात का उद्योग-वार/देश-वार ब्यौरा क्या है तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है, तथा इस कमी के क्या कारण है;

(घ) सरकार द्वारा जूट उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सके;

(ङ) क्या सरकार ने देश में अधिशेष जूट उत्पादन के मद्देनजर जूट किसानों को उनकी उत्पाद का अधिकतम मूल्य मिलना सुनिश्चित करने का कोई तंत्र तैयार किया है;

(च) सरकार द्वारा देश में जूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) जूट उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में सरकार के समक्ष क्या समस्याएं आ रही हैं तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ज) जूट उद्योग को बढ़ावा देने और देश में विशेषकर बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में बंद पड़ी परम्परागत जूट वस्त्र मिलों का पुनरुद्धार करने के लिए क्या उपाय किए गए है/किए जा रहे हैं;

(झ) क्या सरकार का देश में किसानों द्वारा उत्पादित संपूर्ण जूट की खरीद करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ञ) क्या सरकार ने टेक्सटाइल यार्न/जूट संबंधी उत्पादों और वस्त्र उद्योग तथा उनकी इकाइयों द्वारा विनिर्मित उत्पादों संबंधी ऋणों को माफ करने/ राजसहायता प्रदान करने तथा अन्य ऋण दिए है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क): पटसन आयुक्त का कार्यालय को प्रस्तुत विवरणी के आधार पर देश में कुल 75 पटसन मिलें कार्यशील हैं। मिलों में उत्पादन सहित उनकी राज्य-वार सूचना नीचे दी गई है:

2018-19 (अप्रैल-मार्च)					*(मात्रा हजार मी.टन में)*
राज्य	**हैसियन**	**सैकिंग**	**अन्य**	**कुल**	**प्रस्तुत किए गए विवरण में प्रचालनशील पटसन मिलों की संख्या**
आंध्र प्रदेश	0.0	30.0	4.4	34.4	7
उत्तर प्रदेश	2.8	1.7	1.1	5.6	1
बिहार	0.0	0.0	0.0	0.0	1
ओडिशा	0.0	5.6	5.0	10.6	2
असम	0.1	10.3	0.0	10.4	2
छत्तीसगढ़	0.0	11.8	0.0	11.8	1
त्रिपुरा	0.0	0.3	0.0	0.0	1
पश्चिम बंगाल	144.7	852.9	90.8	1088.4	60
कुल	***147.6***	***912.6***	***101.3***	***1161.2***	***75***

पटसन क्षेत्र के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा तैयार की गईं योजनाएं निम्नलिखित हैं:

(i) <u>पटसन सामग्री में अनिवार्य पैकेजिंग:-</u>

पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के तहत सरकार ने वस्तुओं और उस सीमा को विनिर्दिष्ट किया है जो पटसन पैकेजिंग सामग्री में अनिवार्य रूप से पैक की जानी है। इस समय खाद्यान्नों का कम से कम 100% और चीनी का कम से कम 20% पटसन पैकिंग में पैक किया जाना अनिवार्य है।

(ii) पटसन उद्योग आधुनिकीकरण योजना: संयंत्र एवं मशीनरी के अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहन योजना (आईएसएपीएम):

पटसन मशीनरी की उत्पादकता में वृद्धि करने और पुरानी मशीनों के स्थान पर नई तथा प्रौद्योगिकी रूप से उन्नत मशीनों की स्थापना करके उन्हें सक्षम बनाने के लिए पटसन मिलों एवं जेडीपी इकाइयों में आधुनिकीकरण के लिए संयंत्र एवं मशीनरी अधिग्रहण प्रोत्साहन योजना (आईएसएपीएम) क्रियान्वित की गई है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान पटसन मिलों और जेडीपी इकाइयों को 49.71 करोड़ रुपए की पूंजीगत सब्सिडी जारी की गई है।

(iii) **पटसन किसान कल्याण योजना (जूट-आईकेयर)**: फाइबर की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करने और पटसन उत्पादन की लागत को कम करने तथा पटसन किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए पटसन खेती और रैटिंग प्रक्रियाओं की वैज्ञानिक तकनीकों के पैकेज की शुरूआत करने के उद्देश्य से पिछले 4 वर्षों से जूट-आईकेयर (उन्नत खेती और विकसित रैटिंग प्रक्रिया) परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2018-19 की स्थिति के अनुसार, इस योजना में 98,897 हैक्टेयर, भू-क्षेत्र सहित 69 ब्लॉक और लगभग 2 लाख किसान शामिल हैं।

(iv) कामगार कल्याण योजना:

(क) स्वच्छता अभियान-सुलभ शौचालय:

पटसन मिल कामगारों की साफ-सफाई, स्वास्थ्य सुविधा और काम करने की स्थितियों में सुधार करने के लिए पटसन मिलों को सहायता प्रदान की जाती है। सहायता की दर 60.00 लाख रुपए (प्रति मिल/प्रति वर्ष) की अधिकतम सीमा के अध्यधीन वास्तविक व्यय का 90% है। इस योजना के तहत वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान 46 पटसन मिलों में 1365 शौचालयों का निर्माण किया गया है।

(ख) पटसन मिलों के कामगारों की बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति की योजना, जेडीपी-एमएसएमई:

एनजेबी, पटसन मिलों/जेडीपी-एमएसएमई इकाईयों के कामगारों की बालिकाओं के उच्चतर और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान पटसन मिलों/जेडीपी एमएसएमई कामगारों की 17,722 बालिकाओं के उच्चतर और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में सफल होने पर 1133.05 लाख रुपए की छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन प्रदान किया गया।

(v) निर्यात विपणन विकास सहायता योजना:

निर्यात विपणन विकास सहायता योजना (ईएमडीए), पटसन उत्पादों के पंजीकृत विनिर्माताओं और निर्यातकों को जीवनशैली और अन्य जेडीपी का निर्यात संवर्धन करने तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों और विदेशों में व्यापार प्रतिनिधिमंडल में भाग लेने हेतु सुविधा प्रदान करती है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान इस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने के लिए पंजीकृत निर्यातकों को 17.21 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है।

(vi) विविधीकृत पटसन उत्पादों की खुदरा दुकानें और थोक आपूर्ति योजना:

खुदरा दुकान योजना, चुनिंदा और बड़े पैमाने पर खपत के लिए पटसन उद्यमियों द्वारा जेडीपी की आपूर्ति श्रृंखला और थोक आपूर्ति की सहायता करती है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान इस योजना के तहत 80 लाभार्थियो/उद्यमियों को 3.48 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है।

(vii) डिजाइन विकास योजना-एनआईडी में एनजेबी पटसन डिजाइन सैल:

एनआईडी (राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान), अहमदाबाद के प्राकृतिक फाइबर प्रवर्तनकारी केंद्र (आईसीएनएफ) में पटसन शोपिंग थैलों और जीवनशैली उपकरणों के विकास के लिए एक पटसन डिजाइन सैल की स्थापना की गई है जिसका प्रमुख उद्देश्य देश और विदेश में मूल्यवृद्धि तथा बेहतर बाजार के लिए डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी पहल के माध्यम से नए और नवीनतम उत्पाद विकसित करना है। एनआईडी ने पटसन जीवनशैली उपकरणों के लिए 100 से अधिक बुने हुए, रंगे हुए, तैयार नमूने पहले ही विकसित किए हैं और प्लास्टिक थैलों, कोलेपस्बिल पटसन थैलों आदि के

विकल्प के रूप में निम्न लागत वाले पटसन कैरी बैग को भी तैयार किया है। पटसन थैले नामत: फैशन, टोटे बैग, मुडने योग्य हैंड बैग (प्राकृतिक एवं रंगे हुए) हैं।

(viii) पटसन एकीकृत विकास योजना (जेआईडीएस):

जेआईडी योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करने के लिए सत्यापित निकायों के सहयोग से समूचे देश के दूरदराज के स्थानों में स्थानीय इकाइयां और एजेंसियां स्थापित करना है। जेआईडी एजेंसियां, आधारिक स्तर पर मुख्यत: प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और डिजाइन/उत्पाद विकास तथा प्रसार करने के लिए मौजूदा और संभावित उद्यमों को बुनियादी, अग्रणी और डिजाइन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा बैकवर्ड और फार्वर्ड लिंकेज प्रदान करने हेतु सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करती है। जेआईडी एजेंसियां पटसन विविधीकृत उत्पाद (जेडीपी) इकाइयों, एचएसजी, डब्ल्यूएसएचजी, एनजीओ को बाजार सुविधा प्रदान करने के प्रमुख स्रोत भी हैं जो उत्पादन इकाइयों का निर्माण करने और उसे बनाए रखने में सहायता करती है जो उद्यमशीलता विकास और स्वयं सहायता समूहों, विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्ल्यूएचएसजी) की स्थापना करके ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है। वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान विभिन्न पटसन विविधीकृत उत्पादों के उत्पादन के लिए 1060 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया है।

(ix) पटसन कच्ची सामग्री बैंक (जेआरएमबी) योजना:

इस योजना का उद्देश्य जेडीपी का उत्पादन करने के लिए एमएसएमई-जेडीपी इकाइयों की आवश्यकता को पूरा करके देश में जेडीपी क्रियाकलापों की गति को बढ़ाना है ताकि उन्हें मिल गेट मूल्य पर नियिमत रूप से कच्ची सामग्री की आपूर्ति की जा सके और उन्हें घरेलू और अंतराष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए उच्च मूल्य वाले उत्पादों का निर्माण करने में सहायता की जा सके। जेडीपी के लिए उत्पादन आधार को बढ़ाना और विशेष रूप से महिला ग्रामीण समूहों को रोजगार प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए चयनित सक्षम संगठन/एजेंसियां बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज प्रदान करती हैं। जेआरएमबी मौजूदा एसएचजी, कारीगरों एवं उद्यमियों को सेवा प्रदान करने के अलावा नए डब्ल्यूएसएचजी, कारीगरों एवं उद्यमियों को विकसित करने के लिए संबंधित क्षेत्रों में जेडीपी द्वारा किए जा रहे प्रशिक्षण एवं कौशल विकास प्रयासों के एक पूरक के रूप में कार्य करता है।

(x) बाजार संवर्धन सहायता:

पटसन कारीगरों, उद्यमियों, बुनकरों, एनजीओ, महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी) को भारत और विदेशों में उनके उत्पादों की बिक्री, विपणन और संवर्धन करने के लिए बाजार संवर्धन सहायता प्रदान की जाती है। एनजेबी द्वारा आयोजित मेले, इन समूहों के लोगों के लिए आजीविका के माध्यम हैं। अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे- आईआईटीएफ, दिल्ली सूरजकुंड मेला, टेक्सट्रेंड्स, दिल्ली, ताज महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, शिल्पग्राम उदयपुर, गिफटेक्स, मुंबई, भारतीय शिल्प और उपहार मेला, ग्रेटर नोएडा आदि हैं जहां राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, पटसन उत्पादों के संवर्धन के लिए पटसन इकाइयों की भागीदारी हेतु आयोजन करता है और उसे सुकर बनाता है। विपणन संवर्धन सहायता के लाभार्थी जेडीपी इकाइयां, पटसन

मिलें, इब्ल्यूएसएचजी आदि हैं। विपणन संवर्धन मेलें/प्रदर्शनियां, समूचे देश में आयोजित की जाती हैं और उनमें भागीदरी की जाती है। एनजेबी, निर्यात बढ़ाने के लिए पटसन निर्यातकों को निर्यात संवर्धन सहायता भी प्रदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय मेलों, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों (बीएसएम) में भागीदारी को सुकर बनाता है।

(ख) और (ग): भारत से पटसन उत्पादों के निर्यात रूझान वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान पटसन सामानों के निर्यात निष्पादन का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

मात्रा: हजार मिलि. टन और मूल्य:रुपए/करोड़

उत्पाद	**2016-17**		**2017-18**		**2018-19**	
	मात्रा	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**
हैसियन	78.56	930.18	86.80	917.24	64.11	802.70
सैकिंग	46.63	411.81	44.77	407.20	37.09	432.91
यार्न	9.26	72.76	16.98	130.19	13.61	109.42
पटसन विविधीकृत उत्पाद (जेडीपी) अर्थात फ्लोर कवरिंग, हैंड/शोपिंग बैग, वॉल हैंगिंग, गिफ्ट आर्टिकल्स, डेकोरेटिव फैब्रिक्स आदि		590.95		631.49		815.51
अन्य सहित कुल	**140.68**	**2,074.21**	**152.79**	**2,158.56**	**121.68**	**2,273.27**
कुल अमरीकी मिलियन डॉलर के समान		**(309** अम. मिलि. डॉलर**)**		**(335** अम. मिलि. डॉलर**)**		**(325** अम. मिलि. डॉलर**)**

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता

पिछले 3 वर्षों के दौरान शीर्ष 20 देशों को पटसन सामानों के निर्यात सहित निर्यात मूल्य **अनुबंध-I** में संलग्न है।

(घ): पटसन उदयोगों को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए समर्थ बनाने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु कई योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। योजना का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) निर्यात विपणन विकास सहायता योजना (ईएमडीए):

निर्यात विपणन विकास सहायता योजना (ईएमडीए) यह योजना पटसन उत्पादों के पंजीकृत विनिर्माता तथा निर्यातकों को जीवनशैली तथा अन्य पटसन विविधीकृत उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए विदेश में अंतरराष्ट्रीय मेलों तथा व्यापार प्रतिनिधिमंडल में भाग लेने की सुविधा प्रदान करने के लिए क्रियान्वित की जा रही है। पंजीकृत पटसन निर्यातक स्थान का किराया + सजावट पर अधिकतम 50% तक और इकोनमी क्लास का हवाई किराया (दो यात्रियों के लिए) + आवास अधिकतम 50% व्यय की प्रतिपूर्ति के पात्र हैं, जो अधिकतम 3.75 लाख रु. (कुल 7.50 लाख रुपए के व्यय का 50% होने के कारण) की सीमा का अध्यधीन है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान पंजीकृत पटसन निर्यातकों का इस योजना के अंतर्गत पटसन उत्पादों के निर्यात, संवर्धन के लिए

अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने के लिए 1720 लाख रुपए वितरित किए गए हैं। वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की ड्यूटी ड्राबैक योजना और अन्य निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के लिए पटसन उत्पाद के निर्यात को भी शामिल किया गया है। ये योजनाएं पटसन निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं के साथ उचित मूल्य पर व्यवसाय संबंधी मोलतोल करने की सुविधा प्रदान करती हैं।

(ii) संयंत्र एवं मशीनरी के अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहन योजना (आईएसएपीएम): पटसन मशीनरी की उत्पादकता में वृद्धि करने और पुरानी मशीनों के स्थान पर प्रौद्योगिकीय रूप से नई उन्नत मशीने लगाकर उन्हें दक्ष बनाने के लिए पटसन मिलों एवं जेडीपी इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए संयंत्र एवं मशीनरी के अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहन योजना (आईएसएपीएम) क्रियान्वित की गई है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान पटसन मिलों और जेडीपी इकाइयों को 49.71 करोड़ रुपए की पूंजी सब्सिडी जारी की गई है।

(ङ) और (झ): जब कच्ची पटसन का बाजार मूल्य एक निर्धारित स्तर से नीचे आ जाता है तो भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) पटसन किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए उनसे कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसी मात्रात्मक सीमा के बिना कच्ची पटसन की खरीद करता है। सीएसीपी प्रत्येक वर्ष एमएसपी की सिफारिश देने से पहले सभी स्टेकहोल्डरों की राय लेता है और मूल्य वृद्धि के लिए सभी संघटकों की गणना करता है।

(च): सूचना पहले ही **(क) से (ङ)** के उत्तर में दे दी गई है।

(छ): बांग्लादेश में उपलब्ध कच्ची पटसन की बेहतर गुणवत्ता सहित बांग्लादेश सरकार द्वारा निर्यात सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहनों के साथ बांग्लादेश में पटसन मिलों के लिए लागत लाभ के कारण बांग्लादेश अधिकांश विदेशी बाजारों में भारत को मूल्यों में मात देने में समर्थ है। तथापि, भारत सरकार पटसन क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित करके देश में पटसन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। इसके अलावा, प्रत्येक वर्ष बी-ट्विल सैकिंग के सरकारी आदशों के वितरण के लिए पटसन मिलों के आबंटन अनुपात की गणना करने हेतु घरेलू/विदेशी बाजारों में उच्चतर प्रेषण मूल्य के साथ अपेक्षाकृत अधिक उत्पाद विविधीकरण के लिए मिलों को प्रोत्साहन दिया जाता है।

(ज): पटसन उद्योग के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों/तैयार की गई योजनाओं का उल्लेख पहले ही उपर्युक्त उत्तर में कर दिया गया है। बंद मिलों को पुन: खोलने का मुद्दा संबंधित राज्यों द्वारा देखा जा रहा है। तथापि, पटसन उद्योगों की संरक्षा/पुनरूद्धार के लिए भारत सरकार ने पटसन उद्योग में शामिल कच्ची पटसन उत्पादकों कामगारों के हितों की रक्षा के मद्देनजर पटसन पैकेजिंग सामग्री (पटसन वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इस अधिनियम ने पटसन थैलों के लिए निर्बाध बाजार उपलब्ध कराया है। भारतीय

पटसन उत्पादकों और किसानों की संरक्षा के लिए भारत सरकार ने पाटन-रोधी शुल्क भी लगाया है। दिनांक 05.01.2017 से पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने के पश्चात पटसन उद्योग के लिए घरेलू बाजार में 2 लाख मी.टन की अतिरिक्त मांग हुई है जिससे आंध्र प्रदेश स्थित 10 पटसन ट्विन मिलों से अधिक मिलों को पुन: खोला गया है और इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20000 कामगार लाभांवित हुए हैं।

(ञ): पटसन क्षेत्र से संबंधित सूचना पहले ही उपर्युक्त बिंदुओं में दे दी गई है। हथकरघा क्षेत्र के संबंध में हथकरघा उत्पादों की बेहतर गुणवत्ता और उत्पादकता के लिए हथकरघा संवर्धन सहायता योजना के अंतर्गत उन्नत करघों और उपकरणों की खरीद के लिए 90% सब्सिडी प्रदान की जाती है। हैंक यार्न पर 10% सब्सिडी प्रदान की जाती है जो मात्रात्मक सीमा के साथ कॉटन, स्वदेशी रेशम, ऊन और लिनन यार्न पर लागू है। वर्कशेड का निर्माण करने के लिए एससी/एसटी, महिलाओ और गरीबी रेखा से नीचे वाले बुनकरों को 100% सब्सिडी और गरीबी रेखा से ऊपर वाले बुनकरों को 75% सब्सिडी प्रदान की जाती है। सरकार एससी, एसटी, बीपीएल और हथकरघा बुनकरों के परिवारों की महिलाओं एनआईओएस/इग्नू पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 75% शुल्क की प्रतिपूर्ति भी कर रही है।

अनुबंध-I

शीर्ष 20 आयातक देशों को सभी पटसन सामानों का निर्यात (मूल्य-वार)

मूल्य: रु./मिलियन

	2016-17			2017-18			2018-19		
क्र. सं.	**देश**	**मूल्य**	**%**	**देश**	**मूल्य**	**%**	**देश**	**मूल्य**	**%**
1	अमेरिका	4,153.10	20	अमेरिका	4,540.69	21	अमेरिका	4,927.31	22
2	घाना	1,686.18	8	घाना	1,838.75	9	घाना	2,583.83	11
3	यूके	1,559.22	8	यूके	1,418.15	7	यूके	1,588.23	7
4	जर्मनी	998.10	5	कोट डीवायर	1,075.29	5	नीदरलैंड	1,146.20	5
5	नीदरलैंड	983.70	5	जर्मनी	997.48	5	ऑस्ट्रेलिया	987.03	4
6	ऑस्ट्रेलिया	824.01	4	नेपाल	925.93	4	जर्मनी	971.86	4
7	सउदी अरब	717.41	3	नीदरलैंड	826.29	4	कोट डीवायर	811.50	4
8	कोट डीवायर	680.53	3	सउदी अरब	784.99	4	स्पैन	766.32	3
9	सूडान	561.77	3	आस्ट्रेलिया	483.70	2	इंडोनेशिया	528.16	2
10	संयुक्त अरब अमीरात	510.98	2	संयुक्त अरब अमीरात	471.74	2	न्यूजीलैंड	526.86	2
11	कनाडा	429.47	2	तुर्की	421.44	2	सउदी अरब	521.35	2
12	इटली	424.30	2	इंडोनेशिया	395.69	2	फ्रोस	475.86	2
13	मिस्र गणराज्य	392.27	2	कनाडा	386.32	2	इटली	399.94	2
14	स्पैन	347.25	2	बेल्जियम	374.65	2	संयुक्त अरब अमीरात	396.69	2
15	न्यूजीलैंड	333.83	2	इटली	373.85	2	बेल्जियम	369.32	2
16	बेल्जियम	329.45	2	स्पैन	367.05	2	जापान	340.60	1
17	तंजानिया गणराज्य	326.11	2	मिस्र गणराज्य	359.05	2	कनाडा	331.50	1
18	तुर्की	325.12	2	तंजानिया गणराज्य	318.10	1	सूडान	327.04	1
19	जापान	285.09	1	न्यूजीलैंड	314.63	1	तंजानिया गणराज्य	326.96	1
20	फ्रांस	274.47	1	फ्रांस	306.80	1	पेरू	198.21	1
	20 देशों का कुल	**16,142.36**	**79**	20 देशों का कुल	**16,980.59**	**80**	20 देशों का कुल	**18,524.77**	**79**
	कुल निर्यात	**20,742.07**		कुल निर्यात	**21,585.00**		कुल निर्यात	**22,732.72**	

*****